

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-54/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

महेश्वर महतो वगैरह बनाम तिलेश्वरी देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

1.महेश्वर महतो वो 2.योगेश्वर महतो पिता-स्व०
राम स्वरूप महतो, ग्राम-हेठ बुढ़ाडीह,
पो०-बुढ़ाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची,
जाति-कुरमी, पेशा-कृषि।

क्रेता का नाम एवं पता -

तिलेश्वरी देवी पति-श्री बान सिंह महतो, ग्राम-हेठ
बुढ़ाडीह, पो०-बुढ़ाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची,
जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी, खेतीबारी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री आनन्द राम महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-10/03/2018 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता तिलेश्वरी देवी पति-श्री बान सिंह महतो, ग्राम-हेठ बुढ़ाडीह, पो०-बुढ़ाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी, खेतीबारी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
हेठ बुढ़ाडीह	बुण्डू/04	18	73	10 डी० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-नवधनश्याम सिंह मुंडा। द०-प्लाट नं० 74 ग्राम पूजा स्थल। पू०-सम्बत महतो वो०। प०-धासीराम महतो वो०।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-748 दिनांक-31/12/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत दिगम महतो पिता-चुरपा महतो के नाम से दर्ज है।
- (2) पंजी-II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्र का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम रामस्वरूप महतो पिता-मंगल महतो है। तथा रैयत के पास रकबा-4.01 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2016-17 तक वसूली गयी है।
- (5) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पुत्र है। तथा खतियानी के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन परती गोड़ा I किस्म की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-04 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को पारिवारिक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी (पिछड़ी जाति I) के सदस्य है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता 1.महेश्वर महतो वो 2.योगेश्वर महतो पिता-स्व० राम स्वरूप महतो, ग्राम-हेठ बुढ़ाडीह, पो०-बुढ़ाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-कृषि को क्रेता तिलेश्वरी देवी पति-श्री बान सिंह महतो, ग्राम-हेठ बुढ़ाडीह, पो०-बुढ़ाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी, खेतीबारी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक-03/05/2018 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता 1.महेश्वर महतो वो 2.योगेश्वर महतो पिता-स्व० राम स्वरूप महतो, ग्राम-हेठ बुढ़ाडीह, पो०-बुढ़ाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-कृषि को क्रेता

तिलेश्वरी देवी पति-श्री बान सिंह महतो, ग्राम-हेठ बुढ़ाडीह, पो०-बुढ़ाडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, जाति-कुरमी, पेशा-गृहणी, खेतीबारी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
हेठ बुढ़ाडीह	बुण्डू/04	18	73	10 डी० <u>चौहद्दी:-</u> उ०-नवधनश्याम सिंह मुंडा। द०-प्लाट नं० 74 ग्राम पूजा स्थल। पू०-सम्बत महतो वो०। प०-धासीराम महतो वो०।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।